फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 180/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/193) **श्री शांतिलाल ब्राहम्ण बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 17.07.2018, प्रकरण संख्या 02/2018, बउनवानी श्री शांतिलाल व अन्य बनाम तहसीलदार, चित्तौड़गढ़** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 16.01.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 17.07.2018, प्रकरण संख्या 02/2018, बउनवानी श्री शांतिलाल व अन्य बनाम तहसीलदार, चित्तौड़गढ, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री शांतिलाल व भंवरलाल पिता श्री शंकरलाल ब्राहम्ण, निवासी ओछडी ने ग्राम ओछडी की भूमि आराजी संख्या 684 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म चरनोट में अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2016 दर्ज कर निर्णय दिनांक 05.04.2017 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व लगान का 50 गुणा राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया। • तहसीलदार, चित्तोड़गढ़ के निर्णय दिनांक 05.04.2017 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 17.07.2018 पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 17.07.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष दिनांक 30.08.2018 को अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत की। राजस्व विभाग ग्रुप-6, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 13.01.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि धारा-91 के तहत जारी नोटिस दो व्यक्ति हो जारी किया गया जो तकनीकि रूप से वैध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 180/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/193) **श्री शांतिलाल ब्राहम्ण बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं है। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने को मौका मिला। केवल मात्र एकतरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित कर दिया और अपीलीय न्यायालय द्वारा उसके अविधिक तौर पर मान लिया गया। विवादित आराजीयात पर अपीलाटगण का पुराना कब्जा होकर पुर्वजों के समय से चला आ रहा है, जो नियमन योग्य कब्जा है। फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर बेदखली व शास्ति का आदेश पारित किया जिस अपीलीय न्यायालय द्वारा यथावत रख जो अवेधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त फरमाया जावें। **प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अपना अतिक्रमण किया जाना माना गया है। **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री शांतिलाल व भंवरलाल पिता श्री शंकरलाल ब्राहम्ण, निवासी ओछडी ने ग्राम ओछडी की भूमि आराजी संख्या 684 कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर किस्म चरनोट में अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 07/2016 दर्ज कर निर्णय दिनांक 05.04.2017 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व लगान का 50 गुणा राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया, जिस अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा यथावत रखा गया, उक्त निर्णयों के फलस्वरूप हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका पुर्वजो के समय से कब्जा है, जिससे विवादित भूमि का नियमन किया जावें। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि **अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जो अपीलार्थी के पुर्वजो के समय से लगातार कब्जे को साबित करता हो। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।** द्वितीय भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। **प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त पत्रावली अनुसार यह स्थिति भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा स्वीकार किया गया है।** न ही अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति जमा कराई गई, जो रसीद के अभाव में साबित होता है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधनित है। इस	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 180/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/193) **श्री शांतिलाल ब्राहम्ण बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बेदखली के कार्यवाही में नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन अथवा नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत मयाद बाहर प्रस्तुत की गई थी, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना कि अपीलार्थी को तहसीलदार के आदेश की जानकारी ससमय थी, जिससे उक्त समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के मयाद के बिन्दु पर किये गये विवेचन का समर्थन करते है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील मयाद बाधित होने उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर प्रकरण का परिक्षण कर विधिक तरिके से तहसीलदार के आदेश का समर्थन किया। विधिक स्थिति है कि अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में **अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साक्ष्य के आधार पर साबित करने में असफल रहा है।** अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

विवादित भूमि चरनोट भूमि होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किये है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णयों में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2018 एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 05.04.2017 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर